समाहरणालय सिवान

(जिला नजारत शाखा)

–: अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–01 :–

सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3687 दिनांक 26.04.2010 के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में जिला एवं अनुमण्डलों में पदस्थापित पदाधिकारियों/वरीय उप समाहर्ताओं के लिए भाड़े पर वाहन रखने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में दर के निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। अतः भाड़े पर रखे जाने वाले वाहनों यथा बोलेरो, टाटा सूमो, स्कार्पियों, जायलो, टाटा सफारी/इनोवा/टी0यू0वी0 आदि के दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 16.09.19 को 02 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत अलग–अलग लिफाफे में जमा करना होगा अथवा निबंधित डाक से भेजना होगा। जिला पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय के पते पर प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16.09.19 को 04 बजे अपराह्न में अपर समाहर्ता, सिवान के कार्यालय प्रकोष्ठ में क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा के संबंध में विस्तृत सूचना/शर्ते निम्न प्रकार है जिसे सिवान जिले के वेबसाईट siwan.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

भाड़े पर वाहन प्राप्त करने के लिए निविदा की शर्त्ते निम्न प्रकार है :–

2. **तकनीकी निविदा :–**

निविदादाता तकनीकी निविदा एवं वित्तीय द्वि–लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत अलग–अलग लिफाफा में रखेगें। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को ही वित्तीय निविदा में शामिल किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रहेंगे :–

1. वाहन का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र।
2. वाहन का बीमा कागजात।
3. वाहन का रोड टैक्स।
4. प्रदूषण
5. वाहन 2013 या इसके बाद का होना चाहिए एवं अच्छे कंडीशन में होना चाहिए।
6. वाहन का निबंधन वर्ष 2017 के पूर्व का हो तो फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा निबंधन बिहार राज्य के अंतर्गत किसी जिला का होना अनिवार्य होगा।
7. वाहन का परमिट संबंधी कागजात।
8. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी के पदनाम से मो0–5,000.00 (पाँच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा :–

वित्तीय निविदा में वाहन का दर निम्न Format में भर कर दिया जाना है :–

क्र0	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन चालक एवं ईधन सहित।		प्रतिमाह (1500 कि0मी0) चालक एवं ईधन सहित।		1500 कि0मी0 से अतिरिक्त चलने पर प्रति कि0मी0 की राशि	
		सामान्य	वातानुकूलित	सामान्य	वातानुकूलित	सामान्य	वातानुकूलित
1	इनोवा या अन्य समकक्षीय वाहन						
2	XUV 500, टाटा सफारी, मराजो (महिन्द्रा) एवं अन्य समकक्षीय वाहन						
3	स्कारपियों, जाईलो, डस्टर एवं अन्य समकक्षीय वाहन						
4	बोलेरो, सूमो एवं अन्य समकक्षीय वाहन						

5	डिजायर, अमेज, टाटा टाइगोर, बलेनो एवं अन्य समकक्षीय वाहन						
6	इंडिगो, बैगन आर, आई0 10 एवं अन्य समकक्षीय वाहन						

(ग) अन्य शर्ते :–

1. वाहन का दैनिक रख–रखाव, चालक का वेतन, मरम्मति का खर्च आदि का वहन वाहन स्वामी को स्वयं करना होगा। नियमानुसार होने वाले भाड़े भुगतान में से आयकर/जी0एस0टी0 एवं अन्य कर की कटौती की जायेगी।
2. भाड़े पर वाहन लेने हेतु वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए। भाड़े पर वाहन लिये जाने से पहले वाहन की जाँच एम0भी0आई0 द्वारा की जायेगी। नये वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. वाहन के मासिक 1500 किलोमीटर तक के परिचालन हेतु ईंधन वाहन मालिक के द्वारा दिया जायेगा। 1500 किलो मीटर से अधिक के मासिक परिचालन पर निविदा के स्वीकृत प्रति किलोमीटर दर के अनुसार वाहन मालिक को भुगतेय होगा।
4. वाहन माह के प्रतिदिन 24 घंटे ड्राईवर सहित उपयोग हेतु जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्वामी द्वारा ससमय वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर वाहन भाड़े में से आवश्यक कटौती की जायेगी।
5. भाड़े पर रखे गये वाहन में किसी भी अवसर उपयोग में लाये जाने पर ईंधन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।
6. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा।
7. यदि वाहन खराब हो जाती है तो दूसरा वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
8. वाहन में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध रखना/प्रतिष्ठान/सेवा प्रदत्त का दायित्व है।
9. वाहन की चोरी एवं दुर्धटनाग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी की कोई जवाबदेही नहीं बनेगी। इसके लिए जिला प्रशासन किसी प्रकार का भुगतान नहीं करेंगा।
10. सेवा प्रदाता अचानक अपनी सेवाएँ बंद नहीं कर सकते है। उन्हें सेवा समाप्त करने के कम से कम 03 माह पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
11. निविदादाता यदि नई गाड़ी खरीद कर भाड़े हेतु देना चाहेगें तो उन्हें एकरारनामा के पश्चात अधिकतम 03 महिने का समय दिया जायेगा, ताकि बैंक से ऋण ले सकें तथा व्यवसायिक निबंधन करा सके।
12. विशेष परिस्थितियों में निविदादाता अगर अपना वाहन व्यवसायिक निबंधन नहीं कराये है तो उन्हें निविदा के 01 माह के अन्दर व्यवसायिक निबंधन करा लेना होगा।
13. विवाद की स्थिति में या अन्य किसी मामले पर अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
14. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी हेतु दूरभाष संख्या **06154–245514** पर सम्पर्क किया जा सकता है।
15. प्रकाशित निविदा को जिला के बेवसाइट www.siwan.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला नजारत उप समाहर्ता,
सिवान।

अपर समाहर्ता,
सिवान।

जिलाधिकारी,
सिवान।